

संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट

15

परियोजना का नाम :- माननीय मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास-खण्ड डुण्डा में डुण्डा कुराह मोटर मार्ग से जखारी गांव होते हुए बल्ला गांव तक मोटर मार्ग का नव निर्माण (लम्बाई 3.425 किमी०) हेतु वन भूमि हस्तान्तरण (पुनरीक्षित) प्रस्ताव।

माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड की घोषणा के अन्तर्गत प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण हेतु पूर्व में 7.00 किमी० लम्बाई व 7.00 मीटर चौड़ाई में तथा डुण्डा कुराह मोटर मार्ग का जखारी गांव होते हुए बल्ला गांव तक निर्माण हेतु 5.1775 है० वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव तैयार किया गया था। भारत सरकार को प्रेषित किया गया था। जिसका प्रस्ताव संख्या-FP/UK/ROAD/28906/2017 है। दिनांक 29.07.2019 में सम्पन्न आर०ई०सी० कमिटी की बैठक तथा कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षक, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक-2074 / FP/UK/ROAD/28906/2017 देहरादून दिनांक 13.02.2020 द्वारा प्रस्ताव को निरस्त कर दिया गया है तथा पुनः केवल जखारी तक प्रस्ताव को पुनरीक्षित करने हेतु लिखा गया है।

पुनरीक्षित प्रस्ताव हेतु कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग के पत्रांक 4025/12-1, दिनांक 02.03.2020 के क्रम में पुनः संयुक्त निरीक्षण की कार्यवाही वन विभाग, राजस्व विभाग तथा लो०नि०वि० उत्तरकाशी द्वारा 04.06.2020 से 07.06.2020 के बीच किया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय वन विभाग की ओर से श्री देवी नारायण, वन दरोगा, डुण्डा अनुभाग व श्री हेमराज सिंह मटुड़ा वन दरोगा/बीट प्रभारी डुण्डा एवं राजस्व विभाग की ओर से श्री डी०एस० नाथ राजस्व उपनिरीक्षक नाकुरी तथा प्रस्तावक विभाग की ओर से श्री रविन्द्र सिंह चौहान कनिष्ठ अभियन्ता एवं श्री लाल चन्द रमोला अमीन, प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०, उत्तरकाशी द्वारा संयुक्त निरीक्षण में प्रतिभाग किया गया है।

संयुक्त निरीक्षण में मोटर मार्ग में वृक्षों की गणना 7.00 मीटर चौड़ाई में किया गया, जिसमें मोटर में 2.625 किमी० में आरक्षित वन भूमि, 0.375 किमी० में सिविल सोयम भूमि तथा 0.425 किमी० में नाप आती है। आरक्षित वन भूमि में दो डम्पिंग स्थल हेतु 0.20 है० चयनित की गई है तथा एक डम्पिंग स्थल हेतु 0.10 है० नाप भूमि में लिया गया है। संयुक्त निरीक्षण के अनुसार मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.84 है० आरक्षित वन भूमि, 0.26 है० सिविल वन भूमि, 0.38 है० नाप भूमि आ रही है। इस प्रकार मोटर मार्ग में कुल 2.04 है० आरक्षित वन भूमि, 0.26 है० सिविल सोयम भूमि, 0.48 है० नाप भूमि की आवश्यकता होगी। मोटर के निर्माण में विभिन्न प्रजाति के 437 वृक्ष पड़ रहे हैं।

उपरोक्त प्रयोजन हेतु भूमि का विवरण इस प्रकार है—

आरक्षित वन भूमि = 1.84 है०

डम्पिंग यार्ड क्षेत्रफल = 0.20 है०

सिविल वन भूमि = 0.26 है०

कुल वन भूमि का क्षेत्रफल = 2.30 है०

नाप भूमि का क्षेत्रफल = 0.30 है०

प्रस्तावित वन भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।

प्रस्तावित क्षेत्र का धनत्व 0.6 है तथा इकोक्लास 5 है।

उक्त वन भूमि में विभिन्न प्रजाति के कुल 437 वृक्ष आयेगें जिनका मोटर मार्ग निर्माण हेतु पातन होना आवश्यक होगा, जिसकी वृक्षों की गणना सूची संलग्न है।


(लालचन्द रमोला)
अमीन
प्रा०ख०,लो०नि०वि०
उत्तरकाशी


(हेमराज सिंह मटुड़ा)
वन दरोगा/बीट प्रभारी
डुण्डा

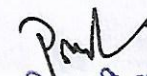

(देवी नारायण)
वन दरोगा,
डुण्डा अनुभाग
उत्तरकाशी


(डो०एस० नाथ)
राजस्व उप निरीक्षक
नाकुरी


(रविन्द्र चौहन)
कनिष्ठ अभियन्ता
प्रा०ख०,लो०नि०वि०
उत्तरकाशी


(बुद्धि सिंह राणा)
वन क्षेत्राधिकारी
डुण्डा वन रेंज
उत्तरकाशी


(सुनील सिंह रावत)
सहायक अभियन्ता
सहायक अभियन्ता
प्रा०ख०,लो०नि०वि०
उत्तरकाशी


अधिसासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो० नि० वि०
उत्तरकाशी


प्रभारी वन प्रभाग
उत्तरकाशी


S.B.M
Dunda


जिलाधिकारी
उत्तरकाशी